**राजस्थान सरकार**
**नगरीय विकास विभाग**

**क्रमांकः— प.9(85)नविवि/I/2024** **जयपुर, दिनांकः**

**परिपत्र**

**विषयः—** राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 40 के उपनियम (2) की पालना के संबंध में।

विभाग के अधीन स्थानीय निकायों की संकर्मों के विनिश्चयों हेतु अग्रेषित पत्रावलियों के अवलोकन से यह ध्यान में आया है कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा बोलियों पर विनिश्चय के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 40 के उपनियम (2) में निर्धारित प्रक्रिया की अनुपालना के प्रति सजगता नहीं है।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 40 के उपनियम (2) में प्राप्त बोलियों पर विनिश्चय के लिये समय सीमा निर्धारित की गयी है, जिसकी अनुपालना में निर्धारित समय सीमा के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा बोली का अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है।

उक्त नियम में अंकित प्राधिकारियों की सूची में पदो का उल्लेख राज्य सरकार के संकर्म निष्पादन करने वाले विभागों के संगठन के अनुरूप किया गया है। परन्तु नियम 40 के उपनियम (2) के नोट (2) के अनुसार यदि उपापन संस्था राज्य सरकार के विभागों या इनसे सम्बद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों से भिन्न है, तो संबंधित प्रशासनिक विभाग बोली पर विनिश्चय के लिये समकक्ष सक्षम प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट करेगा।

अतः इस विभाग के अधीन स्थानीय निकायों के सभी संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि संकर्मों के उपापन प्रक्रिया में आमंत्रित बोलियों की स्वीकृति या अस्वीकृति पर विनिश्चय जहाँ दो लिफाफों की पद्धति (तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड) का अनुसरण किया जाता है, के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 40 के उपनियम (2) एवं नियम 40 के उपनियम (2) के नोट (2) में निर्धारित प्रक्रिया की अनुपालना सुनिश्चित की जावें।

**(रवि विजय)**
**उप शासन सचिव—प्रथम**

RajKaj Ref No.: 10279624

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज.,जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज.,जयपुर।
4. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा विकास प्राधिकरण।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नविवि।
7. वरिष्ठ उप सचिव, नविवि।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, राजस्थान। (समस्त)
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
10. मुख्य अभियंता, नविवि राज., जयपुर।
11. लेखाशाखा, नविवि जयपुर।
12. प्रोग्रामर, नविवि को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

**उप शासन सचिव—प्रथम**

Signature Not Verified

Digitally Signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy
Secretary To Government
Date :05-09-2024 11:32:18